GOVT BARS STATES FROM BROADCAST DISTRIBUTION

No broadcast distribution by State Govts from 2024 onwards

Govt has issued clear guidelines to state governments and central govt ministries to desist from broadcast distribution by Dec 2023.

This will spell trouble for Tamil Nadu and Andhra Pradesh state governments. Tamil Nadu government owns and operates a cable distribution company called Arasu Cable TV Corporation while the Andhra Pradesh government runs the AP Fibernet service which has a triple-play offering of IPTV, Internet, and Telephony. The Tamil Nadu government also operates an educational channel 'Kalvi Tholaikkatchi'.

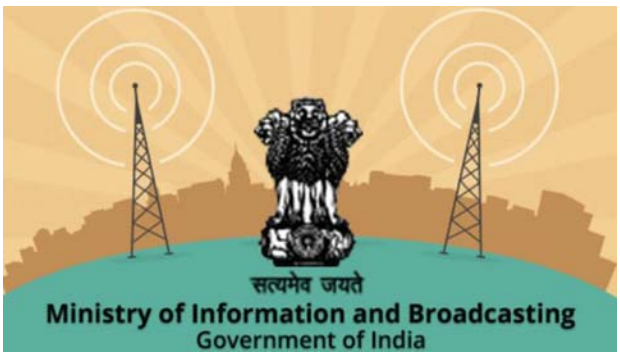

Govt has also requested the Central Government Ministries and State/UT Governments not to enter into broadcasting/ distribution of broadcasting activities in future. Any broadcasting activities can only be done through Prasar Bharati.

"ln case Ministries of Central Government, State/UT Government and entities related to them are already distributing the broadcasting content, they will be required to extract themselves from the distribution activities," the MIB said.

The ministry stated that the exercise of conducting broadcasting activities through Prasar Bharati and exiting the distribution space must be completed by 31st December 2023.

"ln view of the recommendations of TRAI, the judgement of the Supreme Court and the legal opinion given by the Ministry of Law and Justice, the ministry has come to the conclusion that no central Government Ministries/ Departments, State/UT Governments and related entities should enter into the business of Broadcasting/Distribution of broadcasting," the advisory reads.

सरकार ने राज्यों को प्रसारण वितरण करने से रोका

***2024** से राज्य सरकारों द्वारा किसी तरह प्रसारण वितरण नहीं किया जायेगा*

सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों को दिसंबर **2023** तक प्रसारण वितरण से दूर रहने के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। तमिलनाडु सरकार अरासु केबल टीवी कॉरपोरेशन नामक एक केबल वितरण कंपनी का मालिक है और उसका संचालन करती है जबकि आंध्र प्रदेश सरकार एपी फायबरनेट सेवा चलाती है जिसमें आईपीटीवी, इंटरनेट और टेलीफोनी की ट्रिपल–प्ले पेशकश है। तमिलनडु सरकार एक शैक्षिक चैनल 'कलवी थोलाईकच्ची'भी संचालित करता है। सरकार ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से भविष्य में प्रसारण गतिविधियों के प्रसारण/वितरण में प्रवेश नहीं करने का भी अनुरोध किया है। कोई भी प्रसारण गतिविधि प्रसार भारती के माध्यम से ही की जा सकती है।

एमआईबी ने कहा 'अगर केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और उनसे संबंधित संस्थायें पहले से ही प्रसारण सामग्री वितरित कर रही हैं तो उन्हें वितरण गतिविधियों से खुद को निकालना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारण गतिविधियों का संचालन और वितरण स्थान से बाहर निकलने की कवायद **31** दिसंबर **2023** तक पूरी की जानी चाहिए।

इस सलाहकार के मुताबिक 'ट्राई की सिफारिशें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गयी कानूनी राय को देखते हुए, मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई भी केंद्र सरकार के कोई भी मंत्रालय/विभाग, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें और संबंधित संस्थायें प्रसारण/प्रसारण के वितरण में नहीं उतरे।

"Further, in order to implement the decision, it has been decided that entry of Central/State/UT Governments into the business of broadcast for educational purposes should be done through the Prasar Bharati route, through suitable agreements between Prasar Bharati and the concerned Central / State / UT governments," the advisory adds.

"At the same time, all such existing broadcasting, if any, of all Central Government Ministries, State/UT Governments and related entities as detailed in the TRAI recommendations will also need to be brought under the ambit of Prasar Bharati."

The MIB also stated that uninterrupted viewing of existing education channels and other scheduled programmes must be carried on smoothly till the engagement with Prasar Bharati gets in place.

In 2012, the TRAI had recommended that the central and state governments should not be allowed to enter into the business of broadcasting and/or distribution of TV channels. TRAI had also recommended that state government-owned entities should not be allowed to enter into the business of broadcasting and/or distribution of TV channels. ■

सलाहकार यह भी बताता है कि 'आगे, निर्णय को लागू करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि प्रसार भारती और संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के बीच उपयुक्त समझौतों के माध्यम से, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रसारण के व्यवसाय में केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का प्रवेश प्रसार भारत मार्ग के माध्यम प्रसार भारती और संबंधित केंद्र/राज्य/संघ सरकारों के बीच उपयुक्त समझौते के माध्यम से किया जाना चाहिए।

'इसी तरह, ऐसे सभी मौजूदा प्रसारण, यदि कोई हो, सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों और संबंधित संस्थाओं, जैसाकि ट्राई की सिफारिशों में वर्णित है, को भी प्रसार भारती के दायरे में लाने की आवश्यकता होगी।

एमआईबी ने यह भी कहा कि मौजूदा शिक्षा चैनलों और अन्य अनुसूचित कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से तब तक देखा जाना चाहिए जब तक प्रसार भारती के साथ जुड़ाव नहीं हो जाता है।

2012 में ट्राई ने सिफारिश की थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा चाहिए। ट्राई ने यह भी सिफारिश की थी कि राज्य सरकार की स्वामित्व वाली संस्थाओं को टीवी चैनलों के प्रसारण और/या वितरण के व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ■